भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्र. 3124-मप्रविनिआ-2013.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 61 के साथ पठित धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (य घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें)
(पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—1.1 ये विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 [एआर जी 26 (II) (i), वर्ष 2013] कहलायेंगे.

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के ''राजपत्र'' में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा.

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे.

2. **संशोधन.**—उक्त विनियमों में, विनियम 8 में, उप-विनियम 8.2 के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''**8.2** इन विनियमों के अधीन उत्पादक कंपनी से संबंधित विद्युत-दर (टैरिफ), इकाईवार अथवा इकाई समूहवार अवधारित की जाएगी तथापि, जब कभी किसी नवीन विद्युत उत्पादक इकाई की दिनांक 1 अप्रैल 2013 के पश्चात् अभिवृद्धि की जाती है तो आयोग, यदि ऐसी नवीन इकाई(यों) की संस्थापित क्षमता तथा प्रचालन सन्नियम, उत्पादक केन्द्र की अन्य इकाईयों से भिन्न हों, ऐसी नवीन इकाई(यों) हेतु पृथक् से विद्युत दर (टैरिफ) अवधारित कर सकेगा, विद्युत उत्पादक कम्पनी प्रत्येक उत्पादक केन्द्र के संबंध में दिनांक 1 अप्रैल 2013 के पूर्व आज्ञप्त इकाईयों हेतु और तत्पश्चात् आज्ञप्त इकाईयों हेतु पृथक् से विभाजन दर्शाये हुए, गणनाएं प्रस्तुत करेगी''.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 13th December 2013

No. 3124-MPERC-2013.—In exercise of the powers conferred by clause (z d), of sub-section (2) of Section 181 read with Section 61 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following Amendment in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Generation Tariff) (Revision-II) Regulations, 2012, namely :—

First amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission
(Terms and Conditions for determination of Generation Tariff) (Revision-II) Regulations, 2012

1. **Short title and commencement.**— 1.1 These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Generation Tariff) (Revision-II) Regulations, 2012 (First Amendment) [ARG-26 (II) (i) of 2013].

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the "Gazette" of the Government of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

2. **Amendment** .—In the said Regulations, in regulation 8, for sub-regulation 8.2 the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

" **8.2** Tariff in respect of a Generating Company under these Regulations shall be determined Unit-wise or for a group of Units. However, when a new generating Unit is added after 1st April 2013, the Commission may determine separate Tariff for such new Unit(s) if the installed capacity and operating norms of such Unit(s) are different from other units of the Generating Station. The Generating Company shall submit separate calculations in respect of each Generating Station giving breakup for Units commissioned prior to 1st April 2013 and Units Commissioned thereafter."

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.